रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022020-216321
CG-DL-E-24022020-216321

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 20, 2020/फाल्गुन 1, 1941**
No. 76]	**NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2020/PHALGUNA 1, 1941**

foKku vkSj izkS|ksfxdh ea=ky;

¼foKku vkSj izkS|ksfxdh foHkkx½

¼izkS|ksfxdh fodkl cksMZ½

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2020

Qk-l- VhMhch@14@2019&iz'kk- ¼v½.—प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 (1995 का 44) की धारा 22 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:.

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2020 है।

   (2) ये विनियमों राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में,–

   (i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

   '(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से विनियम 7 के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी अभिप्रेत है;';

   (ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

   '(ङ) ''कर्मचारी'' से बोर्ड के कर्मचारिवृंद के रूप में नियुक्त किया गया कई अधिकारी या अन्य कर्मचारी अभिप्रेत है;';

   (iii) खंड (च) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में ''अनुसूची 1'' शब्द और अंक के स्थान पर ''अनुसूची'' शब्द रखा जाएगा।

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में:–

(i) ''वेतनमान'' शब्द के स्थान पर ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''अनुसूची 1'' शब्द और अंक के स्थान पर ''अनुसूची'' शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त विनियमों के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

^^6- Hkrh – विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित भर्ती की पद्धति, पात्रता शर्तें और अन्य मामलें वे होंगे जो केंद्रीय सरकार की संस्थाओं में समान या तुल्य पदों के लिए यथा उपबंधित अर्हता, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु सचिव के पद पर भर्ती के संबंध में केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।''।

6. उक्त विनियमों के विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

^^7- fu;fDr ikf/kdkjh – प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार होंगे:

क्रम सं.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर / पद	नियुक्ति प्राधिकारी
1.	वेतन स्तर 11 तक, अर्थात्, अवर सचिव स्तर तक	सचिव
2.	वेतन स्तर 12, 13 और 13क, अर्थात्, उप–सचिव या निदेशक अथवा वैज्ञानिक (घ, ङ और च)	अध्यक्ष
3.	वेतन स्तर 14 अर्थात्, वैज्ञानिक 'जी'	बोर्ड
4.	सचिव	केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड''।

7. उक्त विनियमों के नियम 8 में,–

(i) उप–विनियम (1) का लोप किया जाएगा;

(ii) उप विनियम (2) से (5) को उप–विनियम (1) से (4) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा;

(iii) उप.विनियम (1) से (4) को इस प्रकार पुनःसंख्यांकित किए जाने के पश्चात्,–

(क) उप विनियम (1) में ''वेतनमान'' शब्द के स्थान पर ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप विनियम (4) में ''वेतनमान'' शब्द के स्थान पर ''वेतन मैट्रिक्स में स्तर'' शब्द रखे जाएंगे;।

8. उक्त विनियमों के विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

''9. vkpj.k vkj vu'kklu.– (1) समय–समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, बोर्ड के सचिव और अन्य कर्मचारियों के पदों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।''

(2) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में विभिन्न पदों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार होंगे;

पदों के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
वेतन स्तर 11 तक	सचिव	अध्यक्ष	बोर्ड
वेतन स्तर 12, 13 और 13क	अध्यक्ष	बोर्ड	केंद्रीय सरकार
वेतन स्तर 14	बोर्ड	केंद्रीय सरकार	लागू नहीं होता
सचिव	बोर्ड	केंद्रीय सरकार	लागू नहीं होता

(3) केंद्रीय या राज्य सरकारों के बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा कार्य कर रहे कर्मचारियों के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 20 और नियम 21 के उपबंध लागू होंगे और बोर्ड, उपरोक्त नियमों के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी और अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करेगा।''।

9. उक्त विनियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

^vuqlwph

¼fofu;e 4 vkSj 5 nsf[k,½

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में पद और वेतन मैट्रिक्स में स्तर

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्गीकरण / समूह	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
1.	सचिव	साधारण, समूह 'क'	15 या 14
2.	वैज्ञानिक 'छ'	वैज्ञानिक, समूह 'क'	14
3.	वैज्ञानिक 'च'	वैज्ञानिक, समूह 'क'	13क
4.	वैज्ञानिक 'ङ'	वैज्ञानिक, समूह 'क'	13
5.	वैज्ञानिक 'घ'	वैज्ञानिक, समूह 'क'	12
6.	निदेशक	साधारण, समूह 'क'	13
7.	उप—विधिक सलाहकार	विधिक, समूह 'क'	12
8.	अवर सचिव	साधारण, समूह 'क'	11
9.	प्रधान निजी सचिव	साधारण, समूह 'क'	11
10	लेखा अधिकारी	साधारण, समूह 'ख'	8
11	अनुभाग अधिकारी	साधारण, समूह 'ख'	7
12	कार्यकारी सहायक	साधारण, समूह 'ख'	6
13	निजी सहायक	साधारण, समूह 'ख'	6
14.	निम्न श्रेणी लिपिक	साधारण, समूह 'ग'	2
15.	स्टाफ कार ड्राइवर	साधारण, समूह 'ग'	2
16.	संदेश वाहक	साधारण, समूह 'ग'	1

नीरज शर्मा, सचिव, बोर्ड

[विज्ञापन—III/4/असा./464/19]

टिप्पण :— मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक फा.सं. टीडीबी/प्रशा. 1 (7) (30)/02—03, तारीख 6 नवंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या टीडीबी/64/2017 आर.आर/प्रशा. तारीख 17 जुलाई, 2018 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

(TECHNOLOGY DEVELOPMENT BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2020

F.No. TDB/14/2019-Admin.(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 22 read with sub-section (2) of section 4 of the Technology Development Board Act, 1995 (44 of 1995), the Technology Development Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Technology Development Board (Terms and conditions of service of Secretary and employees) Regulations, 2002, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Technology Development Board (Terms and conditions of service of Secretary and employees) Amendment Regulations, 2020.

   (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Technology Development Board (Terms and conditions of service of Secretary and employees) Regulations, 2002 (hereinafter referred to as the said regulations) in regulation 2,-

   (i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

   '(b) "appointing authority" means the authority designated as such under regulation 7;';

   (ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely: -

   '(e) "employee" means any officer or other employee appointed as a staff of the Board;';

   (iii) clause (f) shall be omitted.

3. In the said regulations, in regulation 4, for the word "Schedule – I", the word "Schedule" shall be substituted.

4. In the said regulations, in regulation 5:-

(i) for the words "scales of pay", the words "levels in pay matrix" shall be substituted;

(ii) for the word "Schedule – I" the word "Schedule" shall be substituted.

5. In the said regulations, for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely: -

"6. Recruitment.-The method of recruitment, eligibility conditions and other matters concerning appointments to various posts shall be as specified by the Board keeping in view the qualification, experience and other requirements as provided for similar or comparable posts in the Central Government Institutions: provided that in respect of recruitment to the post of Secretary, prior approval of the Central Government shall be required".

6. In the said regulations, for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely: -

"**7. Appointing authority**.-Appointing authorities for various posts in the Technology Development Board shall be as under:

Sl. No.	**Level in Pay Matrix / Posts**	**Appointing authority**
1.	Up to Pay Level 11, i.e., up to the level of Under Secretary	Secretary
2.	Pay Levels 12, 13 and 13A i.e., Deputy Secretary or Director or Scientists (D, E and F)	Chairperson
3.	Pay Level 14 i.e., Scientist 'G'	Board
4.	Secretary	Board with prior approval of the Central Government".

7. In the said regulations, in regulation 8,-

(i) sub-regulation (1) shall be omitted;

(ii) sub-regulations (2) to (5) shall be re-numbered as sub-regulations (1) to (4) thereof;

(iii) after re-numbering sub-regulations (1) to (4) thereof,-

(a) in sub-regulations (1), for the words "scale of pay", the words levels in pay matrix" shall be substituted;

(b) in sub-regulations(4), for the words "pay scales", the words "levels in pay matrix" shall be substituted.

8. In the said regulations, for regulation 9, the following regulation shall be substituted, namely: -

"9. Conduct and discipline. - (1) The Central Civil Service (Conduct) Rules 1964 and the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, shall *mutatis mutandis* apply to the posts of Secretary and other employees of the Board.

(2) The disciplinary authority, appellate authority and reviewing authority in respect of various posts in the Technology Development Board shall be as under:

Level in pay matrix of posts	**Disciplinary Authority**	**Appellate Authority**	**Reviewing Authority**
Up to Pay Level 11	Secretary	Chairperson	Board
Pay Levels 12, 13 and 13A	Chairperson	Board	Central Government
Pay Level 14	Board	Central Government	N.A.
Secretary	Board	Central Government	N.A.

(3) In respect of employees of the Central or state Governments working in the Board on deputation or otherwise, the provisions of Rules 20 and 21 of the Central Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply and the Board shall exercise the powers of the appointing authority and of the disciplinary authority, as the case may be, for the purpose of the aforesaid rules.".

9. In the said regulations, for Schedule I and Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE

(see regulations 4 and 5)

Posts in Technology Development Board and Levels in Pay Matrix.

Sl. No.	Name of the post	Classification / Group	Levels in pay matrix
1.	Secretary	General, Group 'A'	15 or 14
2.	Scientist 'G'	Scientific, Group 'A'	14
3.	Scientist 'F'	Scientific, Group 'A'	13A
4.	Scientist 'E'	Scientific, Group 'A'	13
5.	Scientist 'D'	Scientific, Group 'A'	12
6.	Director	General, Group 'A'	13
7.	Deputy Legal Adviser	Legal, Group 'A'	12
8.	Under Secretary	General, Group 'A'	11
9.	Principal Private Secretary	General, Group 'A'	11
10.	Accounts Officer	General, Group 'B'	8
11.	Section Officer	General, Group 'B'	7
12.	Executive Assistant	General, Group 'B'	6
13.	Personal Assistant	General, Group 'B'	6
14.	Lower Division Clerk	General, Group 'C'	2
15.	Staff Car Driver	General, Group 'C'	2
16.	Messenger	General, Group 'C'	1

NEERAJ SHARMA, Secy. to the Board

[ADVT.-III/4/Exty./464/19]

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification No.F.No.TDB/Admn.1(7)(30)/02-03, dated the 6th November, 2002 and last amended vide notification No. TDB/64/2017/RR/Admin, dated the 17th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.24 10:27:42 +05'30'